न्यायालय न्यायिक मजि0 पुरवा उन्नाव।

UPUN120001141996

सरकार बनाम रामस्वरूप उर्फ टिर्री
मु0सं0—158 / 1996
अ0सं0—306 / 1995
धारा—457,380 भा0दं0सं0
थाना — मौरांवा, उन्नाव।
दिनांक—15.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त रामस्वरूप उर्फ टिर्री गैर हाजिर। अभियुक्त लगातार अनुपस्थित चल रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु न्यायालय द्वारा एन0बी0डब्लू0 तथा धारा 82 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी है तथा अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध धारा 299 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा की गयी है। अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त अवसर दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 299 दं0प्र0सं0 के साक्ष्य की कार्यवाही समाप्त की जाती है। तद्नुसार पत्रावली अन्तर्गत धारा 299 दं0प्र0सं0 के तहत निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त रामस्वरूप उर्फ टिर्री के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0—306 / 2005 अन्तर्गत धारा 457,380 भा0दं0सं0, थाना मौरांवा, जिला उन्नाव में स्थायी रूप से गैर जमानतीय वारंट जारी हो तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस आशय का पत्र प्रेषित किया जाये कि जब भी कभी अभियुक्त उपस्थित हो, तो इस न्यायालय में विधिक कार्यवाही हेतु अभियुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा। पत्रावली धारा 299 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत इस निर्देश के साथ दाखिल दफ्तर की जाती है कि जब भी कभी अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित होगी तो अभिलेखागार से पत्रावली तलब कर कार्यवाही की जायेगी। अभिलेखागार को निर्देशित किया जाता है कि यह पत्रावली बिडआऊट नहीं होगी। कार्यालय अनुपालन सुनिश्चित करे।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा उन्नाव